**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़**
**पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉं आर.ए.एस.**

अपील संख्या 87/2012 (पुराना नं. 92/2006)
आरसीएमएस नं0 2022/87
अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट

1. महेन्द्र सिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ–राज.
2. सुभाष सिंह पुत्र श्री मोती सिंह जाति राजपूत निवासी मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ–राज.

–अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमागनढ।
2. पुरूषोतम पुत्र ग्यारसी लाल जाति ब्राह्मण निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी –फौत

2/1 लक्ष्मी देवी पत्नी पुरूषोतम
2/2 कमल पुत्री पुरूषोतम
3/3 सुमन पुत्री पुरूषोतम
3/4 पूनम पुत्री पुरूषोतम
2/5 पींटो पुत्री पुरूषोतम

} जाति ब्राहम्ण निवासीगण पंजाबी मोहल्ला, हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ

3. विमला कंवर पत्नी मोतीसिंह जाति राजपूत निवासीगण टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

4/1 रायसिंह पुत्र श्रीकंवर पुत्री मोती सिह
4/2 मोनू सिंह पुत्र श्रीकंवर पुत्री मोती सिंह
4/3 दीपक सिंह पुत्र श्रीकंवर पुत्री मोती सिह
4/4 सुमन पुत्री श्रीकंवर पुत्री मोती सिह

} जाति राजपूत निवासीगण मिर्जावाली मेर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ

–रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 30.12.2002
द्वारा अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़
प्रकरण संख्या 56/2002
बअनवानी स्टेट बनाम पुरूषोतम

श्री रामकुमार कस्वा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अधिवक्ता
श्री आशीष भिड़ासरा अधिरवक्ता रेस्पो सं0 3, 4/1 से 4/4

निर्णय दिनांक:-05.04.23

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने न्यायालय अपर जिला कलक्टर द्वारा अनवानी प्रकरण स्टेट बनाम पुरूषोतम प्रकरण सं0 56/02 अन्तर्गत धारा 13 'ए' राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत पारित निर्णय दिनांक 30.12.2002 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार राजस्व टिब्बी की रिपोर्ट के आधार पर चक 3 एम.जेड.डब्लयू. के प. नं. 200/363 किला नं. 3, 8, 9, 10 की 4 बीघा भूमि अपीलांट व रेस्पोडण्ट सं0 3 व 4 के पूर्वज स्व मोतीसिंह पुत्र सार्दुल सिंह ने उपरोक्त भूमि धारा 13 राज. उप. अधिनियम के तहत बिना पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये रेस्पोडेण्ट संख्या –2 पुरूषोतम पुत्र ग्यारसी लाल को विक्रय कर दी। उक्त बैयनामा को धारा 13 बी उप. अधिनियम के तहत नियमन करवाने हेतु नोटिस देने पर व क्रेता द्वारा राशि जमा न करवाने के आधार पर अधीनस्थ न्यायलाय ने धारा–13 (2) रा. उप. अधिनियम के तहत बहक सरकार सशर्त अधिग्रहण करने का आदेश दिनांक 13.12.2002 को पारित करने की उक्त आदेश की क्रियान्विति दिनांक 31.03.2004 तक कीपइनएबीयन्यस रखने एवं इस अवधि में शमनफीस मय ब्याज जमा नहीं होने पर उपरोक्त की क्रियान्विति सम्बन्धित तहसीलदार 01.04.2004 को बहक सरकार विवादित भूमि को अधिग्रहित करने के लिए स्वतन्त्र होने और तदनुसार

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दिनांक 30.12.2002 की क्रियान्विति 1.04.2004 से सम्बन्धित तहसीलदार को पालना सुनिश्चित करने का आदेश दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। मूल अपील पेशी में नही आने पर दिनांक 26.07.2008 को नई पत्रावली मुर्तिब की गई। रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट सं0 1 की तरफ से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये व रेस्पोडण्ेट सं0 2 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया। रेस्पोडेण्ट संख्या 3, व 4 की तरफ से उनके अभिभाषक उपस्थित आये। उ
3. भयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय के द्वारा अपीलाण्ट के पिता स्व0 मोतीसिंह की खातेदारी भूमि चक 3 एम.जे. डब्ल्यू. प. नं. 200/363 किला नं. 3–8–9–10 की 4 बीघा भूमि को धारा 13 उपनिवेशन अधिनियम की अवहेलना में बिना पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये। रेस्पोडेण्ट पुरूषोतम पुत्र ग्यारसीलाल को करना मानकर सशर्त बहक सरकार अधिग्रहण करने का आदेश पारित किया हैं। अपीलाण्ट के पिता ने उपरोक्त भूमि का कभी विक्रय नहीं किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष कोई भी बेयनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि को विक्रय करना साबित हो। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा –13 राज. उप. अधिनियम का प्रकरण दर्ज करके कार्यवाही की गई हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भी तथाकथित क्रेता पुरूषोतम उपस्थित नही आया। अपीलाण्ट के पिता को भी कभी अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस नहीं दिया। प्रकरण गलत तथ्यों पर पेश किया गया है। क्रेता के नाम कभी भी वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हुए न ही कोई विक्रय पंजीकृत हुआ है। अपीलाधीन आदेश साईक्लेस्टाईल फार्निया में जारी किया गया है। सशर्त जारी किया गया है कि निर्णय दिनांक 30.01.2002 को पारित किया है व उसकी क्रियान्विति 03.03.2004 तक रखी है। धारा–13 राज. उप. अधिनियम को गजट अधिसूचना 'प4(27) राज./उप/84 दिनांक 22.04.1991 के द्वारा हटा दिया गया है इसलिए 22.04.1991 के बाद धारा 13 राज. उप. अधिनिमय के हित भूमि को अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालयम में पक्षकार नहीं हेाने के कारण अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था। इसलिए अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जावे। अपीलाण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

एक प्रभावित पक्षकार है अतः धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे। अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्आन्त आरबीजे 2004 पेज 477, आरआरडी 2002 पेज 92 व 656 प्रस्तुत करते हुए अपील स्वीकार करने का कथन किया।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विधि सम्मत होना बताया व कथन कियाकि उपनिवेशन क्षेत्र में कोई भी काश्तकार राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत अधिकारी की ऐसी लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना भूमि को अन्तरण नहीं कर सकता है। बिना स्वीकृति अन्तरण की भूमि को धारा –13 ए व 13–1ए राज. प. अधिनियम के तहत नियमन शुल्क जमा करवाकर नियमन करवा सकता है यदि विधि समय अवधि में नियमन नहीं करवाया जाता है तो भूमि को बहक सरकार अधिग्रहण किया जा सकता है। खातेदार मोती सिह को आदेश में वर्णित भूमि उपनिवशेन क्षेत्र में आवंटन की गई थी व तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 14.02.1994 द्वारा आवंटी मोती सिंह द्वारा उपरोक्त 4 बीघा भूमि धारा 13 राज. उप. अधिनियम के तहत बिना स्वीकृति प्राप्त किये क्रेता पुरूषोतम को विक्रय की है एवं क्रेता पुरूषोतम ने नियमन शुल्क जमा नहीं करवाया। इसलिए अधीनस्थ न्यायलाय का आदेश विधि सम्मत है। अपीलाण्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है। प्रभावित पक्षकार नहीं होने के कारण उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अपीलाण्ट ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2006 पेज 331 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 3 व 4 ने अपनी बहस में अपीलाण्ट के अभिभाषक की बहस समर्थन करते हुए अपील स्वीकार करने का कथन किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अपीलाण्ट द्वारा यह अपील धारा 96 सीपीसी एवं धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र के साथ पेश की गई है। अपीलाण्ट स्व0 मोतीसिंह के वारिस हैं। इसलिए बतौर प्रभावित पक्षकार अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी हैं। अतः अपीलाण्ट का धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र पत्र सशपथ होने एवं अपील का निरस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

10. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलाण्ट के पूर्वज विक्रेता मोती सिंह व क्रेता पुरूषोतम के विरूद्ध तहसीलदार टिब्बी की रिपोर्ट दिनांक 14.02.1994 को आधार पर चक 3 एम.जे.डब्ल्यू प. नं. 200/363 किला नं. 3–8––9–10 की 4 बीघा भमि को बिना पूर्व स्वीकृति विक्रय करने का आधार मानकर धारा 13 उप. अधिनियम के तहत प्रकरण संख्या 56/02 दर्ज किया गया था। उक्त प्रकरण में दिनांक 30.12.2002 को अधीनस्थ न्यायालय ने सशर्त आदेश पारित करके दिनांक 31.03.2004 तक नियमन शुल्क जमा करवाने पर भूमि को नियमन करने व राशि जमा न करने पर उक्त भूमि को बहक सरकार अधिग्रहण का आदेश दिया व आदेश दिनांक 30.12.2002 को दिनांक 03.03.2004 तक पालना करने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण तहसीलदार टिब्बी की रिपोर्ट दिनांक 14.02.1994 के आधार पर दर्ज किया गया है। अपीलाधीन निर्णय से यह तथ्य साबित नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीालण्ट व रेस्पोडेंण्ट को प्रकरण की विधिवत सूचना दी गई थी अथवा नहीं। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण प्रारम्भ करने का मुख्य आधार तहसीलदार टिब्बी की रिपोर्ट दिनांक 14.02.1994 है। उक्त रिपोर्ट में मोतीसिंह को उक्त भूमि 04.09.1971 को आवंटन होना व उक्त 4 बीघा भूमि आवंटी मोतीसिंह द्वारा पुरूषोतम पुत्र ग्यारसीलाल को विक्रय करने का अंकन है व रिपोर्ट में विक्रयशुदा भूमि पर क्रेता पुरूषोतम का कब्जा न होन का कथन किया है। उक्त रिपोर्ट में यह कोई कथन नहीं किया गया है कि भूमि कब विक्रय की गई है एवं न ही कोई विक्रय पत्र संलग्न किया गया है। अपील में संलग्न इंतकाल सं0 के अवलोकन से यह तथ्य साबित है कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि रकबा राज दर्ज करते हुए समय मोतीसिंह पुत्र सादुलसिंह के नाम दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विक्रय के सम्बन्ध में कोई अंकन या दस्तावेज संलग्न नहीं है, जिससे वादग्रस्त भूमि का बिना स्वीकृति के विक्रय किया जाना साबित हो। यदि मोतीसिंह द्वारा पुरूषोतम को भूमि विक्रय की गई होती तो वह अपने अधिकारों के लिए वैधानिक कार्यवाही करता यदि उसके पक्ष में कोई बैयनामा होता तो उसे नियमन आदि करवाने के सम्बन्ध में आवश्यक रूप से कार्यवाही करता। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

साईक्लेटाईल प्रोफॉर्मा में दिया गया हैं। इस प्रकार यह तथ्य साबित नही है कि स्व0 मोतीसिंह द्वारा निर्णय में वर्णित भूमि का विक्रय किया हो। इसलिए केवल मात्र रिपोर्ट के आधार पर धारा 13 उप. अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण किया जाना उचित नहीं है। इस प्रकार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य बनती है।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है व न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा प्रकरण स्टेट बनाम पुरूषोतम प्रकरण सं0 56/02 में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2002 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख पत्रावली में प्राप्त होना नहीं पाया जाता है। लिहाजा निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ

5/4/23

(करतार सिंह पूनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ